N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जौंच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0033 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/02/2025 17:30 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 10/02/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 22:15 बजे **Time To (समय तक):** 10:36 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/02/2025 **Time (समय):** 14:04 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/02/2025 17:30:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 238 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** KARYALAY SAHAYAK ABHIYANTA, AVVNL BANEDA, BHILWARA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):** BHILWARA(RAJASTHAN)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** UDAYALAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAM LAL TELI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MALOLA ROAD GAYTRI NAGAR, WARD NO 67, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SARDAR NAGAR, TAHSIL BANEDA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH BAIRWA		पिता:SUNDAR LAL BAIRWA	1. HAAL SAHAYAK ABHIYANTA,PAWAS AVVNL BANEDA,BHILWARA,RAJASTH
2	VINOD MOHANPURIYA		पिता:POKHARMAL MOHANPURIYA	1. HAAL VANIJIYAK SAHAYAK PRATHAM,KARYALAY SAHAYAK ABHIYANTA,PAWAS AVVNL BANEDA,BHILWARA,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	आरोपी से 30000 रुपये रिश्वत राशि बरामद की गई ।	30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम विषय - भ्रष्ट AEN को रिश्वत लेते पकडने बाबत महोदय जी, मैं प्रार्थी उदयलाल S/O रामलाल जी तेली उम्र 38 वर्ष निवासी सरदार नगर तहसील बनेडा जिला भीलवाडा हाल निवासी मालोला रोड गायत्रीनगर वार्ड नं. 67 भीलवाडा का रहने वाला हूँ। मेरी मातेश्वरी ऑयल मिल के नाम से रजिस्टर्ड फर्म है मैंने ग्राम सरदारनगर मे मुगफली एवं सरसो तेल का मध्यम उधोग हेतू MIP विधुत कनेक्शन हेतु सहायक अभियन्ता कार्यालय बनेडा मे दिनांक 05/02/25 को फाइल जमा करवाई मैने फाईल श्री मुकेश बैरवा AEN सा0 को कार्यालय मे दी लेकिन मुझे दिनांक 05/02/25 को किसी भी प्रकार की फाईल जमा करने की रसीद नही दी उस दिन मेरे बडे भाई साहब श्री सत्यानारायण जी भी AEN कार्यालय मे साथ मे थे दिनांक 05/02/25 को भी मुकेश जी ने हमे बताया मे कल दिनांक 06/02/25 को मौका देखने आउगा इसके बाद दिनांक 06/02/25 को AEN सा. सरकारी वाहन से मेरी फर्म मातेश्वरी ऑयल मिल सरदारनगर में मौका देखने आये उस दिन मे अकेला ही था AEN साहब ने मौका देखने आये तो मैने कहा की सर मेरी फाईल जमा हो गई हो तो उसकी रसीद दे दो तो AEN साहब ने कहा की रसीद ऑफिस से ले जाना पहले आप ऑफिस आओ इसके बाद मे AEN साहब के पास ऑफिस मे गया तो AEN सा. ने मुझे कहा की आपके भाई साहब सत्यनारायण जी को भिजवाओ फीर मैने मेरे भाई साहब सत्यनारायण जी को भिजवाया फीर मैने मे भाई साहब को फोन करके बताया की AEN साहब आपको ऑफिस बुला रहै है इसके बाद मेरे भाई साहब सत्यनारायण AEN साहब श्री मुकेश जी से बनेडा बाईपास स्थित ऑफिस मे जाकर मिले भाई साहब ने दिनांक 6/02/25 को ही कार्यालय मे फाईल जमा करवाने की राशि 500/ कार्यालय स्टाप ने दे दी लेकिन रसीद नही दी इसके बाद भाई साहब सत्यनारायण जी से मेरी फर्म के नाम MIP विधुत कनेक्शन डिमांड नोटिस निकालने की एवज मे 1 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की मै मेरे जायज कार्य की एवज मे AEN श्री मुकेश जी को कीसी प्रकार की रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ, बल्कि रिश्वत लेते हुई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रंग हाथो पकडवाना चाहता हूँ मेरे भाई साहब सत्यनारायण जी भी मेरे साथ है मेरी AEN सा. श्री मुकेश जी से कीसी प्रकार रंजिश नही है और कीसी प्रकार का लेन देन बकाया नही है रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाई करें प्रार्थी एसडी uday 09/02/25 नाम उदय लाल तेली S/O रामलाल तेली निवासी मालोला रोड गायत्रीनगर भीलवाडा हाल सरदारनगर बनेडा भीलवाडा संलग्न 1.रसीद संख्या 31 दिनांक 07/02/25 2.आधार कार्ड की फोटो कॉपी 3.फर्म GST रजिस्ट्रेशन कॉपी 4.आवेदन पत्रावली विधुत कनेक्शन कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम दिनांक 09/02/2025 समय 10.15 पी.एम पर उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रार्थी श्री उदयलाल पुत्र श्री रामलाल जाति तेली Age 38 वर्ष निवासी सरदार नगर तहसील बनेडा जिला भीलवाडा हाल निवासी मालोला रोड गायत्रीनगर वार्ड नं. 67 भीलवाडा मय अपने बडे भाई श्री सत्यनारायण के उपस्थित कार्यालय होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया। जिस पर मन् पारसमल उप अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पर परिवादी श्री उदयलाल से पूछताछ कर दरयाप्त की गई तो श्री उदयलाल ने बताया कि मैं 12 वी कक्षा तक पढा लिखा हूँ तथा यह रिपोर्ट मेरी स्वयं की लिखी हुई है परिवादी ने बताया कि मेरी मातेश्वरी ऑयल मिल्स के नाम से फर्म रजिस्टर्ड है। मैने ग्राम सरदार नगर मे मूंगफली एवं सरसो तेल की ऑयल मिल्स का मध्यम उधोग लगाने के लिये MIP विधुत कनेक्शन की फाईल तैयार कर दिनांक 05.02.2025 को AEN कार्यालय बनेडा मे जमा करवाई थी। उस दिन मेरे भाई साहब सत्यनारायण जी भी मेरे साथ मे थे उस दिन मैने फाइल AEN सा. श्री मुकेश जी बैरवा को दी थी। हमे फाइल जमा करने की कोई रसीद नही दी। AEN सा.

मुकेश जी ने फाइल अपने पास रख ली, तथा हमे कहा कि मैं कल दिनांक 06.02.25 को मौका देखने आउ्गा। दिनांक 06.02.25 को AEN सा. मुकेश जी सरकारी वाहन बोलेरो लेकर मेरी फर्म पर आये उस समय मेरे भाई साहब फर्म पर नही थे। AEN सा. ने मौका देखने के बाद मुझे कहा कि आप आफिस आ जाना तो मै AEN सा. के बनेडा बाईपास स्थित ऑफिस जाकर मिला तो कहा कि आपके भाई साहब सत्यनारायण जी को भिजवाओ फिर मैंने मेरे भाई साहब सत्यनारायण जी को फोन कर बताया कि AEN सा. आपसे बात करेगे आफिस बुला रहे है। इसके बाद मेरे भाई साहब सत्यनारायण जी AEN साहब मुकेश जी से ऑफिस मे जाकर मिले और भाई साहब ने फाइल जमा करवाने पेटे 500/रू की रसीद भी कटवा ली। लेकिन भाई साहब को 06.02.25 को AEN साहब ने रसीद नही दी इसके बाद मुकेश जी AEN ने मेरे भाई साहब करे कहा कि आपके फर्म के नाम से MIP विधुत कनेक्शन के लिये डिमांड नोटिस निकलवाना है तो मुझे 1.00 लाख रूपये देने पडेगे। AEN सा. मुकेश जी ने मेरे भाई साहब से मेरे जायज कार्य की एवज मे 1.00 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की। आज मेरे भाई साहब सत्यनारायण जी मेरे साथ है। इस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा श्री सत्यनारायण पुत्र रामलाल जी AGE 43 वर्ष से दरयाप्त की तो बताया कि दिनांक 05.02.25 को में मेरे भाई उदयलाल के साथ AEN कार्यालय मे जाकर फाईल जमा करवाई इसके बाद दिनांक 06.02.25 को AEN सा. मुकेश जी मौका देखने आये तथा इसी दौरान मेरे भाई उदयलाल को कहा कि आपके भाई सत्यनारायण जी को ऑफिस भिजवाना जिस पर मैं AEN सा मुकेश जी से बनेडा स्थित कार्यालय मे जाकर मिला तथा मैने फाईल जमा करवाने की रसीद राशि 500/रू भी कटवा ली लेकिन मुझे रसीद नही दी, कार्यालय मे AEN सा. ने मुझे कहा कि फर्म के नाम MIP विधुत कनेक्शन का डिमांड नोटिस निकलवाना है तो 1.00 लाख रूपये देने पडेगे मैं उपर सभी अधिकारियो से फाइल क्लीयर करवा दूंगा। AEN साहब मुकेश जी मेरे भाई उदयलाल की फर्म के MIP विधुत कनेक्शन का डिमांड नोटिस निकालने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है, मैनें रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये मांगने की बात मेरे भाई उदयलाल को बताई। श्री उदयलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की श्री सत्यनारायण द्वारा पुष्टि की गई। परिवादी ने बताया कि मैं मेरे जायज कार्य की एवज मे AEN श्री मुकेश जी को किसी प्रकार की रिश्वत राशि नही देना चाहता हॅू। मेरी एवं मेरे भाई साहब सत्यनारायण जी का AEN श्री मुकेश से किसी प्रकार की रंजिश नही है और न ही किसी प्रकार की लेन देन बकाया नही है। AEN साहब 1.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि लिये बगैर मेरी फर्म के नाम विधुत कनेक्शन का डिमांड नोटिस जारी नही करेगे और हमे ज्यादा परेशान करेगे। रिश्वत राशि लेन देन के संबंध मे AEN सा. मुकेश जी मेरे भाई साहब से वार्ता करेगें तथा दिनांक 10.02.25 को मेरे भाई साहब को रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये लेकर AEN साहब ने ऑफिस बुलाया है। मजमून तहरीरी रिपोर्ट एवं दरयाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः परिवादी को SO के पास भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी श्री उदयलाल एवं सत्यनारायण को प्रातः 7.00 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। कल दिनांक 10.02.25 को परिवादी को SO के पास भिजवाकर उसके लम्बित कार्य एवं मांग का सत्यापन करवाया जायेगा। कार्यालय स्टॉफ को प्रातः 7.00 ए.एम. पर उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये तथा परिवादीगणो को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूकसत किया गया। दिनांक 10.02.2025 समय 07.45 ए.एम पर परिवादी श्री उदयलाल एवं सत्यनारायण उपस्थित कार्यालय आये तथा बताया कि AEN साहब मुकेश जी ने आज ही हमे 1.00 लाख रूपये रिश्वत राशि लेकर बुलाया है, मैं और मेरे भाई साहब आज ही AEN सा. से मिलकर रिश्वत राशि मांग के संबध मे वार्ता करेंगे। इस पर मन् पारसमल उप अधीक्षक द्वारा हालात वरिष्ठ अधिकारियो को निवेदन किये तथा श्री खालिद हुसैन एच.सी. 88 को मेरे कार्यालय कक्ष मे बुलाया तथा परिवादी श्री उदयलाल एवं श्री सत्यनारायण से आपस मे परिचय करवाया तथा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही मे परिवादी के साथ जाकर मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉईस मे रिकार्ड करने के निर्देश दिये। परिवादीगणो के मोबाईल नंबर श्री खालिद हुसैन एच.सी. से शेयर किये गये। तत्पश्चात श्री खालिद हुसैन एच.सी. से मालखाने से कार्यालय का डिजिटल वांयस रिकॉर्डर मय एक नया मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB का मंगवाया गया। कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को बंद व चालू करने की प्रक्रिया परिवादीगणो को समझाई गई तथा परिवादीगणो को बताया कि आप AEN श्री मुकेश से उनके कार्यालय मे जाकर अपने लम्बित कार्य एवं की जाने वाली मांग का सत्यापन संबंधी वार्ता कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड करें। कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी श्री उदयलाल एवं सत्यनारायण को जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री सत्यनारायण ने SO के मोबाईल [redacted] बताये। समय 08.30 ए.एम पर परिवादी श्री उदयलाल एवं सत्यनारायण को हैड कानि. श्री खालीद हुसैन के साथ परिवादी की प्राईवेट वाहन कार से मांग सत्यापन वार्ता हेतु बनेडा की तरफ रवाना किया गया तथा हैडकानि श्री खालिद हुसैन को निर्देश दिये कि आप परिवादीगण को SO के पास वार्ता करने जाने से पूर्व डिजीटल वॉयस रिकोर्डर अच्छी तरह से चालु कर सूपूर्द करें। परिवादी के AEN कार्यालय से आने व जाने को देखने का प्रयास करें तथा SO के आम शोहरत के बारे मे भी गोपनीय जानकारी करें। समय 07.00 पी.एम पर श्री खालिद हुसैन हैड कानि ने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया तथा बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय से 09.00 ए.एम. पर परिवादीगण श्री उदयलाल एवं सत्यनारायण के उनकी प्राईवेट कार से रवाना होकर करीब 09.40 ए.एम. पर बनेडा कस्बे के आस-पास पहॅुचे, जहां पर श्री सत्यनारायण

अपने मोबाईल नंबर [redacted] से एईन श्री मुकेश बैरवा के मोबाईल नंबर [redacted] पर कॉल लगाकर ऑफिस मे आने के संबंध मे पूछा तो एस.ओ. ने परिवादी को बताया कि मैं आधे घंटे में ऑफिस आ जाउंगा। जिस पर मैं परिवादीगणो के साथ उनकी फर्म पर जाकर इन्तजार किया। समय 10.15 एएम पर हम लोग फर्म से रवाना होकर 10.30 एएम पर बनेडा स्थित सहायक अभियंता कार्यालय से पहले रोड पर पहुॅचे तथा मेरे द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकोर्डर चालूकर श्री सत्यनारायण को सुपूर्द किया। श्री सत्यनारायण द्वारा उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को चालु हालत मे अपने पहने हुए जैकेट की उपर की बांयी जेब मे रखा तथा श्री सत्यनारायण एवं श्री उदयलाल को सहायक अभियन्ता कार्यालय मे रवाना किया गया। परिवादीगणो के एस.ओ. के पास वार्ता के लिए आते जाते को मैने कार्यालय के आस-पास ही मुकिम होकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए देखा तथा 10.47 ए.एम. पर दोनो परिवादीगण वार्ता के बाद मेरे पास आये तथा मुझे श्री सत्यनारायण ने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर दिया, जिसको मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादीगणो ने बताया कि हमारी श्री मुकेश जी ए.ई.एन. साहब से वार्ता हो गई है। जो आपके कार्यालय के वॉयस रिकार्डर मे रिकॉर्ड हो चुकी है तथा मेरे द्वारा रिक्वेस्ट करने पर श्री मुकेश जी ने 1.00 लाख रूपये रिश्वत राशि मे से 10,000 रूपये कम करने पर 90,000 रूपये रिश्वत राशि लेने मे सहमत हुए तथा 20,000 रूपये मौके पर ही हमारे से ग्रहण कर लिये तथा श्री मुकेश जी ए.ई.एन. साहब ने 20,000 रूपये रिश्वत राशि मेरे भाई उदयलाल से अपने कार्यालय की अलमारी मे रखवा कर ग्रहण किये तथा मेरे द्वारा 30,000 रूपये रिश्वत राशि दो-तीन दिन में अपने भाई उदयलाल के साथ भिजवाने की कहा तो एईएन साहब ने कहा कि ये क्या पुरे करते ना यार, आगे वार्ता मे ए.ई.एन. साहब द्वारा कहा गया कि एक साथ करते तो ठीक रहता आप भी टुकडो मे कर रहे हो संबधित बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है। परिवादीगण श्री उदयलाल एवं श्री सत्यनारायण कार्यालय मे उपस्थित आये। उक्त दोनो से बातचीत की तो श्री सत्यनारायण ने बताया कि मैं तथा मेरा भाई खालिद हुसैन जी हैड साहब के साथ मेरी प्राईवेट कार से भीलवाडा से रवाना होकर बनेडा के आस पास पहुंचे, तो मैंने ए.ई. एन. साहब श्री मुकेश जी को उनके फोन पर कॉल किया तथा कार्यालय मे आने के लिए पूछा तो उन्होने आधे घंटे मे अपने कार्यालय मे उपस्थित होने के लिए बताया, इसके बाद हम तीनो हमारी फैक्ट्री सरदारनगर जाकर इन्तजार किया तत्पश्चात सरदारनगर से समय 10.15 ए.एम. पर रवाना होकर 10.30 ए.एम. पर बनेडा स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय के पास रोड पर पहुॅचे, जहां पर श्री खालिद हुसैन जी ने मुझे कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकोर्डर चालू कर दिया जिसको मैने मेरी जैकिट की उपर की बांयी जेब मे रखकर मैं तथा मेरा भाई उदयलाल दोनो ही ए.ई.एन. साहब से बातचीत के लिए उनके कार्यालय मे पहुॅचे तथा मेरे एम.आई.पी कनेक्शन की फाईल के संबंध मे बातचीत की बातचीत के दौरान मेरे द्वारा ए. ई.एन. साहब से 1.00 लाख रूपये रिश्वत राशि मे से 10,000 रूपये कम करने की रिक्वेस्ट करने पर 90,000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुए तथा मेरे भाई उदयलाल से 20,000 रूपये अपनी कार्यालय अलमारी मे रखने का ईशारा किया जिस पर श्री उदयलाल ने 20,000 रूपये ए.ई.एन साहब की कार्यालय अलमारी मे रखे जो ए.ई.एन. साहब ने 20,000 रूपये ग्रहण कर ली तथा 30,000 रूपये दो-तीन दिन मे मेरे भाई उदयलाल के साथ भिजवाने की और शेष राशि डिमांड नोटिस आने के बाद दिये जाने के संबध में बातचीत की तो ए.ई.एन. साहब ने कहा कि ये क्या पुरे करते ना यार, आगे वार्ता मे ए.ई.एन. साहब द्वारा कहा गया कि एक साथ करते तो ठीक रहता आप भी टुकडो मे कर रहे हो तथा मेरे लंबित काम मे भी सहयोग करने का आश्वासन दिया। श्री उदयलाल से भी उक्त कार्यवाही के संबंध मे बात की तो श्री खालिद हुसैन हैड कानि व श्री सत्यनारायण द्वारा बतायी गई तथ्यों की पुष्टि की गई। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ताओ को चालुकर सूना तो परिवादी श्री सत्यनारायण कहता है कि मारे कई एक चैक को पेमेन्ट अटक ग्यो ज्यों ही अबारू बीस ब्या, दो दिन पछे 20 दो दिन पछे 30 और देउ साहब, एक की आप ख्यो 20 हो गया 80 और रह जाई, जिस पर ए.ई.एन श्री मुकेश कहता है कि ये क्या पूरे करते यार आगे वार्ता मे सहायक अभियन्ता श्री मुकेश कहता है कि एक साथ कर देते तो ठीक रहता आप भी टुकडो मे कर रहे हो आदि वार्ताए रिकॉर्ड हुई तथा रिकॉर्ड वार्ताओ में श्री उदयलाल द्वारा कार्यालय की अलमारी खोलने व बंद करने की आवाज भी डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मे रिकॉर्ड हुई है तथा ए. ई.एन द्वारा परिवादी के लंबित काम को बिना किसी रूकावट के करने का आश्वासन देता है। इत्यादि वार्ताऐ कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मे रिकॉर्ड हुई है। इस प्रकार सहायक अभियन्ता श्री मुकेश बैरवा द्वारा परिवादी श्री उदयलाल एवं श्री सत्यनारायण द्वारा एम.आई.पी. विधुत कनेक्शन हेतु प्रस्तुत पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही कर डिमांड नोटिस हेतु भिजवाकर उपर सभी अधिकारीयो से क्लीयर करवाने एवंज मे 1.00 लाख रूपये रिश्वत की मांगकर 20,000 रूपये अपने कार्यालय मे ही ग्रहण कर लिए तथा 30,000 रूपये रिश्वत राशि दो दिवस पश्चात परिवादी श्री उदयलाल से लेने पर सहमत हुआ। अतः आरोपी श्री मुकेश बैरवा सहायक अभियन्ता द्वारा परिवादी श्री उदयलाल एवं श्री सत्यनारायण से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। आईन्दा स्वतन्त्र गवाह तलब कर रिकॉर्ड वार्ताओ की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। परिवादीगणो की कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूकसत किया गया। परिवादी श्री उदयलाल को दिनांक 13.02.2025 को 30,000 रूपये रिश्वत मे दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर लाने के निर्देश देकर रूकसत किया गया। कार्यालय का डिजीटल रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् उप अधीक्षक के पास कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा। हालात वरिष्ठ अधिकारियो को निवेदन किये गये। दिनांक 12.02.2025 समय 02.30 पी.एम पर कानिस्टेबल श्री गजेन्द्र

सिंह 15 को दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु जरिये कार्यालय पत्रांक 205 दिनांक 12.02.2025 से कार्यालय श्रीमान तहसीलदार तहसील भीलवाडा पर रवाना किया गया। समय 03.15 पी.एम पर कानिस्टेबल श्री गजेन्द्र सिंह 15 कार्यालय श्रीमान तहसीलदार तहसील भीलवाडा से मय रिसिप्ट के उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर तहसीलदार कार्यालय भीलवाडा पहुंचा तथा श्रीमान तहसीलदार साहब से गोपनीय कार्यवाही हेतु 02 स्वतंत्र गवाहान बाबत् निवदेन किया गया श्रीमान तहसीलदार साहब ने श्री अभिषेक छीपा पटवारी पटवार हल्का सुवाणा व श्री गोपालकृष्ण विश्नोई पटवार हल्का कांदा को पाबंद किया गया जो अभी राजकार्य मे है थोडी देर मे कार्यालय मे उपस्थित हो जायेंगे। रिसिप्ट शामिल पत्रावली की गयी। समय 05.25 पी.एम पर कार्यालय तहसीलदार भीलवाडा से गोपनीय कार्यवाही हेतु 02 स्वतंत्र गवाहान 01. श्री गोपाल कृष्ण विश्नोई पुत्र श्री सोहनलाल, जाति विश्नोई, उम्र 32 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी विश्नोई मोहल्ला, आंगनबाडी के पास पुर, पुलिस थाना पुर, जिला भीलवाडा हाल पटवारी, पटवार हल्का कान्दा, अतिरिक्त चार्ज मंडपिया, तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा मो.नं. [redacted]02. श्री अभिषेक छीपा पुत्र श्री सत्यनारायण छीपा, उम्र 31 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी कोर्ट मोहल्ला, सब्जी मंडी के पास पुर, पुलिस थाना पुर जिला भीलवाडा हाल पटवारी, पटवार हल्का सुवाणा, अतिरिक्त चार्ज कोदुकोटा, तहसील भीलवाडा, जिला भीलवाडा मो.नं. [redacted] उपस्थित कार्यालय आये जिनको की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही मे बतौर गवाह रहने हेतु पाबंद किया गया। गवाहान को दिनांक 13.02.2025 प्रातः 07.00 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने के संबंध मे पाबन्द कर रूकस्त किया गया।दिनांक 13.02.2025 समय 09.00 ए.एम पर परिवादीगण श्री उदयलाल एवं सत्यनारायण एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय मे उपस्थित आये। गवाहान का परिवादीगण श्री उदयलाल एवं श्री सत्यनारायण का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट दोनो गवाहान को पढाई गयी तथा मन् उप अधीक्षक के पास कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाला गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड है को चालु कर वार्ता के मुख्य मुख्य अंश पढकर सुनाये गये तथा गवाहान व परिवादीगण के समक्ष अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। समय 09.30 ए.एम पर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.02.2025 कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड है, को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर बारी बारी से चलाकर सुना गया जिसमे परिवादीगण श्री सत्यनारायण एवं उदयलाल ने अपनी अपनी आवाज की पहचान की एवं दोनो ने आरोपी श्री मुकेश बैरवा की आवाज की पहचान की व रिकार्ड वार्ताओ को शब्द बशब्द सुन सुनकर कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की गयी। उक्त फर्द कानिस्टेबल श्री गजेन्द्र 15 से टाईप करवा कर मेरे निर्देशन मे तैयार की गयी। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओ से कॉपी कर 02 पैन ड्राईव 32 जी.बी. के तैयार किये गये, जिसमे 01 पैन ड्राईव आरोपी हेतु तथा 01 पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किया गया। आरोपी हेतु तैयार पैन ड्राईव को उसी के कवर मे रखकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क PD-1 दिया गया। अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार पैन ड्राईव को उसी पैन ड्राईव के कवर मे रखकर एक पीले लिफाफे मे रखकर खुला रखा गया तथा रिकार्ड वार्ताओ का मुल मैमोरी कार्ड को उसी के कवर मे रखकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क M-1 दिया जाकर सभी गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मुल मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता की हैसवैल्यू निकालकर शामिल पत्रावली की गयी। शिल्ड आर्टीकल मार्क PD-1 व M-1 पर नमूना ब्रास सील ACB BLA-1 20 अंकित की गयी। समय 11.10 ए. एम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.02.2025 के अनुसार एसओ की परिवादीगणो से हुई वार्तानुसार रिश्वत राशि 30000 रूपये परिवादी श्री उदयलाल से लेना तय हुआ है। अतः परिवादी श्री सत्यनारायण को रूखसत किया गया। समय 11.15 ए.एम पर परिवादी श्री उदयलाल पुत्र श्री रामलाल जाति तेली उम्र 38 वर्ष निवासी सरदार नगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा हाल निवास मालोला रोड गायत्री नगर वार्ड नम्बर 67 भीलवाडा को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने की कहने पर गवाहान के समक्ष अपने पास से 500-500 रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए, नोटों के नम्बर निम्नानुसार है - 1. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2ND 096070 2. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1CW 012933 3. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4UC 669155 4. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2NV 699858 5. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5VK 134610 6. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1MC 903929 7. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9PK 818086 8. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1PT 422221 9. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7SE 398186 10. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0DS 391478 11. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9FD 737515 12. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9SR 723902 13. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7FH 544820 14. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4BV 511501 15. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0CB 799548 16. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7QR 720550 17. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4EE 642416 18. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1AS 995991 19. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5CS 300034 20. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1LF 968083 21. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4EB 465369 22. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8NV 839143 23. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0UR 052119 24. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6WT 579225 25. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4CU 946704 26. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6WE 181835 27. एक 500 रूपये

का नोट नम्बर 5CS 040640 28. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4AM 982250 29. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0EK 049634 30. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2HA 176472 31. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3MK 456897 32. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8TE 733167 33. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1GW 642491 34. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8GF 837186 35. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9SL 969748 36. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1NE 715611 37. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3RH 078016 38. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5CK 784514 39. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9ED 999061 40. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5NA 805095 41. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0GV 886319 42. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9HK 895673 43. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7LH 713068 44. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9AA 072511 45. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4AB 595104 46. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6EF 804623 47. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0TW 369764 48. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3PV 426111 49. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6UG 612314 50. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5CR 738037 51. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0NV 101485 52. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9LF 360776 53. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9KT 211251 54. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2ET 829831 55. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4CN 988893 56. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5RR 378715 57. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6EN 717935 58. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1AB 396590 59. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8CW 453593 60. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7BN 353217 उक्त सभी नोटो पर श्री श्रवण कुमार हैड कानिस्टेबल 110 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया तथा फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की गयी। सम्पूर्ण कार्यवाही की 01 फर्द मुर्तिब कर सभी नोटो के नम्बर फर्द पर अंकित किये गये। फर्द मेरे निर्देशन मे कानिस्टेबल श्री गजेन्द्र 15 से तैयार करवायी गयी। समय 01.00 पी.एम पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान श्री अभिषेक छीपा व श्री गोपालकृष्ण विश्नोई व ट्रेप पार्टी सदस्य अशोक कानिस्टेबल, कानि प्रेमराज मय प्राईवेट वाहन से, श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक मय श्री नेमीचन्द सउनि, श्री शिवराज कानि0 235, श्री राजवीर कानि 58 मय वाहन सरकारी बोलेरो मय चालक कानि श्री विनोद एवं परिवादी की स्वंय की कार से श्री खालिद हुसैन हैड कानि. 88 एवं श्री गजेन्द्र सिंह कानि 15 के मय एक नया मैमोरी कार्ड वास्ते ओडियो वीडियो रिकार्डिंग, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक लेखन सामग्री सहित बनेडा की तरफ रवाना हुए। समय 01.30 पी.एम पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के बनेडा कस्बे के आस पास पहुंचे तथा परिवादी से एसओ श्री मुकेश बैरवा की लोकेशन जानने के संबंध मे बताया तो परिवादी ने बताया कि अभी एसओ कार्यालय मे मौजुद नही है। जिस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा समस्त ट्रेप पार्टी को अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकिम हुए। समय 01.45 पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय हमराही जाप्ता के प्राईवेट वाहन से परिवादी श्री उदयलाल के ग्राम सरदारनगर स्थित फर्म पर पहुंचे तथा आरोपी के कार्यालय मे पहुंचने के इंतजार मे मुकिम हुए। समय 02.00 पी.एम पर परिवादी श्री उदयलाल की आरोपी श्री मुकेश बैरवा के मोबाईल पर कार्यालय मे उपस्थित एवं लेनदेन वार्ता हेतु मिलने के संबंध में बातचीत की तो श्री मुकेश बैरवा ने बताया कि मै 04.00 पी.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित आउंगा। उक्त मोबाईल पर हुई वार्ता को स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड की गयी। तत्पश्चात समस्त जाप्ते को 04.00 पी.एम. तक मुकिम रहने के निर्देश दिये। समय 03.08 पी.एम पर आरोपी श्री मुकेश बैरवा ने परिवादी श्री उदयलाल के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मैं कार्यालय मे उपस्थित आ चुका हूं, आप कार्यालय मे आ जावे। परिवादी एवं एसओ की मोबाईल पर हुई वार्ता को मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड की गयी। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक मय गवाहान के प्राईवेट वाहन से तथा परिवादी श्री उदयलाल को हैड कानि. श्री खालिद हुसैन के साथ उसकी मोटरसाईकिल से तथा परिवादी के पीछे पीछे कानि. श्री गजेन्द्र व श्री प्रेमराज को परिवादी द्वारा उपलब्ध करवायी गयी मोटरसाईकिल से सहायक अभियन्ता कार्यालय बनेडा की तरफ रवाना हुए तथा श्री राजेश कुमार उनि को अलर्ट रहने के निर्देश दिये। समय 03.25 पी.एम पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य मय स्वतंत्र गवाहान के मय परिवादी के सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल कार्यालय बनेडा के पास हाईवे पर पहुंचे तथा वाहनो को रोड के एक तरफ खडा करवा कर हैड कानि श्री खालिद हुसैन को परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द करने के निर्देश दिये जिस पर हैड कानि श्री खालिद हुसैन ने परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द किया तथा परिवादी द्वारा उक्त रिकार्डर को चालु हालात मे अपनी पहनी हुई जाकेट की उपर की अन्दर की बॉयी जेब रखा तथा एसओ से रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता के लिए सहायक अभियन्ता कार्यालय मे स्वंय की मोटरसाईकिल से एवं उसके पीछे पीछे हैड कानि खालिद हुसैन एवं कानि गजेन्द्र एवं कानि प्रेमराज को रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय गवाहान के रोड के आस पास वाहनो को खडा करवा कर अपनी उपस्थिति छुपाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार मे मुकिम हुए। समय 03.36 पी.एम पर परिवादी श्री उदयलाल नें मुझ उप अधीक्षक पारसमल को जरिये मोबाईल व्हाटसएप्प चैट से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने की सूचना दी जिस पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता ट्रेप पार्टी सदस्य श्री अशोक कानि. दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री गोपाल कृष्ण व श्री अभिषेक छीपा एवं श्री खालिद हुसैन हैड कानि 88, श्री गजेन्द्र सिंह कानि.15 व श्री प्रेमराज कानि 225 एवं श्री राजेश कुमार उनि, श्री नेमीचंद सउनि, श्री शिवराज कानि 235, श्री

राजवीर कानि 58, के प्राईवेट व सरकारी वाहन से कार्यालय सहायक अभियंता (प.व.स.), एवीवीएनएल बनेडा पहुंचे। जहां कार्यालय के गेट पर परिवादी श्री उदयलाल मौजूद मिला। श्री उदयलाल ने बताया कि एईएन साहब मुकेश जी सामने ही अपने कार्यालय कक्ष में खडे है, जिस पर मन उप अधीक्षक मय हमराही जाप्ता व गवाहान के परिवादी को लेकर सहायक अभियंता श्री मुकेश बैरवा के कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया तो कार्यालय कक्ष में दो व्यक्ति खडे मिले। जिसमें से परिवादी श्री उदयलाल ने बताया कि यह एईएन साहब कुर्सी के पास खडे है तथा पास में श्री विनोद कर्मचारी खडा है। जिसको मन उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर आने का मंतव्य बताया तथा पृथक पृथक नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री मुकेश बैरवा पुत्र श्री सुन्दरलाल बैरवा, उम्र 37 वर्ष, निवासी डुगर सिकराय, तहसील सिकराय, पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा हाल सहायक अभियंता, एवीवीएनएल बनेडा जिला भीलवाडा व दूसरे नें अपना नाम श्री विनोद पुत्र श्री पोखरमल जाति रेगर, उम्र 28 वर्ष, निवासी घाटवा, तहसील नावां, जिला डीडवाना हाल वाणिज्यिक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, एवीवीएनएल बनेडा जिला भीलवाडा होना बताया। मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री उदयलाल से रिश्वत राशि 30,000/- रूपये दिये जाने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैं जब श्री मुकेश जी एईएन साहब के पास अपने काम के संबंध में वार्ता करने के लिये आया तो श्री मुकेश जी नें मुझे अपने कार्यालय कार्मिक श्री विनोद के पास जमा करवाओ, जिस पर मैं पास ही बने कक्ष में गया तो वहां पर सीट पर मुझे विनोद जी मिले। जिनको मैनें नाम पूछा तो उन्होने अपना नाम विनोद होना बताया। जिसको मैने कहा कि साहब ने मुझे आपके पास भिजवाया है। जिस पर मैने 30 हजार रूपये रिश्वत राशि श्री विनोद को दिये तथा गिनने के लिये कहा तो विनोद ने अपने हाथ मे लेकर उक्त रिश्वत राशि को लेकर गिना तथा 5-7 नोट गिनने के बाद में श्री विनोद को रिश्वत राशि होने का शक होने पर उक्त रिश्वत राशि को फाईल पर पटक कर पीछे बाथरूम की तरफ भागकर अपने हाथ धोये तथा तुरंत ही एईएन साहब के कार्यालय में आ गया तथा एसीबी कार्यवाही के संबंध में बताने लगा। इतने में आप लोग आ गये जिस पर मन उप अधीक्षक मय परिवादी श्री उदयलाल, श्री मुकेश बैरवा एईएन, श्री विनोद वाणिज्यिक सहायक प्रथम को लेकर श्री विनोद के कक्ष में गये तो विनोद की सीट के सामने रखी फाईलो पर एक नोटो की गड्डी मिली, जिसको मन उप अधीक्षक द्वारा श्री मुकेश बैरवा सहायक अभियंता एवं श्री विनोद से पृथक पृथक पूछताछ की तो श्री मुकेश बैरवा ने बताया कि मैं इनको नही जानता हूँ, इनका डिमांड राशि जमा कराने के लिये मैनें इनको बताया था और डिमांड राशि जमा कराने के लिये ही ये विनोद जी के पास गये थे। मुझे गलत फसाया गया है। तत्पश्चात श्री विनोद से उक्त रिश्वत राशि 30,000/- रूपये अपने हाथ में लेकर गिनने एवं शंका होने के पश्चात उक्त राशि फाईल पर ही पटक कर चले जाने के संबंध में स्पष्टीकरण लिया तो बताया कि ये मेरे पास आये तथा मुझे 30,000/- रूपये डिमांड राशि जमा करने के लिये दिये। लेकिन जब मैने फाईल निकालकर देखा तो उसमें डिमांड की राशि 3.00 लाख रूपये से ज्यादा थी तो मैनें उक्त राशि इनको वापस लौटा दी। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा पूछा कि परिवादी को डिमांड नोटिस की कॉपी दी या नही तो श्री विनोद एवं श्री मुकेश बैरवा एईएन ने कहा कि यह डिमांड राशि इनको आँनलाईन ही जमा करवानी थी। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा पुनः श्री मुकेश बैरवा सहायक अभियंता से पूछा कि आपने उक्त डिमांड नोटिस की कॉपी परिवादी को नही दी और न ही उसको डिमांड राशि के संबंध में बताया। इस पर दोनो नें कहा कि यह तो आँनलाईन ही जमा होनी है, हमने इनसे कोई रिश्वत राशि नही मांगी है, हमे गलत फंसाया गया है। तत्पश्चात श्री विनोद की सीट पर रखी पत्रावलियों के उपर पडी हुई नोटो की गड्डी को स्वतन्त्र गवाह श्री गोपाल कृष्ण से उठवायी जाकर पूर्व मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से उक्त नोटो का मिलान करवाया तो हुबहु होना पाये गये। उक्त रिश्वत राशि को स्वतन्त्र गवाह श्री गोपाल कृष्ण के पास सुरक्षित रखवायी गई। तत्पश्चात अनुसंधान बॉक्स में से दो डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर श्री गजेन्द्र सिंह से कार्यालय परिसर में रखी पानी की मटकी में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर श्री नेमीचंद सउनि से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवायी जाकर गवाहान के समक्ष एक एक ढक्कन सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री विनोद के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क आर.एच.-1 व आर. एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री विनोद के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का मटमैला गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी से पुनः पूछा तो बताया कि मैनें मेरी एमआईपी विधुत कनेक्शन हेतु मेरी फर्म मातेश्वरी ऑयल मिल के नाम से सहायक अभियंता कार्यालय बनेडा में फाईल जमा करवायी थी। जिस पर एईएन साहब दिनांक 06.02.2025 को मेरी फर्म पर मेरी साईट पर आकर मौका मुआयना करके गये तथा मुझे कहा कि आपके भाई को भिजवाना जिस पर मैने मेरे भाई साहब सत्यनारायण जी को दिनांक 06.02.2025 को ही एईएन साहब मुकेश जी से मिलने इनके ऑफिस भिजवाया, जहां पर एईएन साहब ने मेरे भाई से मेरी विधुत कनेक्शन की पत्रावली पर डिमांड नोटिस जारी करने तथा उपर भिजवाने की ऐवज में 01.00 लाख रूपये रिश्वत की डिमांड की तथा दिनांक

10.02.2025 को मैं तथा मेरे भाई श्री सत्यनारायण जी के साथ, एईएन साहब के कार्यालय में आकर मिले, जिस पर मेरे भाई साहब द्वारा काफी निवेदन करने पर एईएन साहब नें 90,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुये तथा दिनांक 10.02.2025 को ही 20,000/- रूपये रिश्वत राशि अपने कार्यालय कक्ष में बनी हुई अलमारी में रखवाकर ग्रहण किये तथा 30,000/- रूपये दो तीन दिन में लेने पर सहमत हुये। श्री मुकेश जी एईएन साहब द्वारा आज मुझे फोन कर कार्यालय में बुलाया तथा 30,000/- रूपये अपने अधिनस्थ कार्मिक श्री विनोद को देने के लिये भिजवाया। जिस पर मैनें विनोद को उक्त रिश्वत राशि 30,000/- रूपये श्री विनोद को हाथ में दी थी। उक्त सभी रिश्वत राशि नोट 30,000/- रूपये जिसमें 500-500 के कुल 60 नोटो को एक कागज के पीले लिफाफे मे सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "N" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री उदयलाल की एमआईपी विधुत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्रावली के संबंध में पूछताछ कर स्पष्टीकरण लिया गया, उक्त आवेदन पत्रावली वक्त कार्यवाही आरोपी श्री विनोद वाणिज्यिक सहायक की टेबल पर पायी गई, इस संबंध में श्री मुकेश बैरवा सहायक अभियंता से पूछताछ की गई तो बताया कि श्री उदयलाल की उक्त पत्रावली कार्यालय में दिनांक 07.02.2025 को प्राप्त हुई है। मैनें दिनांक 07.02.2025 को पत्रावली प्राप्त होने से पहले कोई कार्यवाही नही की। मैं इस पत्रावली में मौका निरीक्षण के लिये साईट पर कब गया, यह मुझे याद नही है। परिवादी की पत्रावली पर श्रीमान अधिशाषी अभियंता, एवीवीएनएल शाहपुरा को जारी पत्रांक 3198 दिनांक 10.02.2025 के संबंध में पत्रावली पर बनाया गया तकमीना की तकनिकी, प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति भिजवाये जाने के संबंध में पूछा तो बताया की हमने इस तकमीने को ई-राजकाज पोर्टल से अधिशाषी अभियंता, शाहपुरा को प्रेषित किया गया है। परिवादी के एमआईपी विधुत कनेक्शन हेतु आवेदित पत्रावली में तकनीकी, प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति प्राप्त होने के संबंध में पूछा तो श्री मुकेश बैरवा नें बताया कि यह मुझे जानकारी में नही है कि स्वीकृति प्राप्त हुई है या नही। परिवादी की आवेदन पत्रावली में किसी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त नही हुई फिर भी आप द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बताया कि प्रोविजनल डिमांड जमा कराने हेतु मैनें विनोद के पास भिजवाया था। परिवादी को इसमें 3,85,219/- रूपये की राशि जमा करवानी थी। परिवादी श्री उदयलाल एवं श्री सत्यनारायण दिनांक 10.02.2025 को आपसे आपके कार्यालय में आकर मिले तब आपने किसी प्रकार की प्रोविजनल डिमांड की राशि जमा कराने के लिये नही बताया था तो फिर आज आपने परिवादी को किस आधार पर डिमांड राशि जमा कराने के लिये विनोद के पास भिजवाया के संबंध में पूछा तो बताया कि डिमांड की राशि श्री विनोद द्वारा ही जमा की जाती है इसलिये मैनें उन्ही के पास भिजवा दिया था। मूल आवेदन पत्रावली में परिवादी के एमआईपी कनेक्शन के लिये आपके कार्यालय से मांग पत्र तैयार किया गया है, जिस पर न तो दिनांक है, न ही कोई डिस्पेच नम्बर है व न ही आपके हस्ताक्षर है के संबंध में पूछने पर बताया कि यह डिस्पेच होकर परिवादी के पास जाना था लेकिन यह मेरे पास पहले ही आ गया था इसलिये डिस्पेच नही हो सका। तत्पश्चात आवेदन पत्रावली के संबंध में श्री विनोद वाणिज्यिक सहायक से पूछताछ कर स्पष्टीकरण लिया गया तो बताया कि यह पत्रावली दिनांक 07.02.2025 को कार्यालय में जमा हुई थी। आवेदन पत्रावली जमा करने की फीस 500/- रूपये है। पत्रावली कार्यालय में जमा होने के पश्चात कनिष्ठ अभियंता के पास तकमीना बनाने हेतु भिजवायी जाती है। कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका निरीक्षण कर तकमीना तैयार किया जाता है। कनिष्ठ अभियंता श्री महेश मीणा द्वारा तकमीना तैयार किया गया था तथा तकमीने पर सहायक अभियंता श्री मुकेश बैरवा के हस्ताक्षर है, इसके बाद पत्रावली दिनांक 10.02.2025 को ई-राजकाज पोर्टल से अधिशाषी अभियंता, एवीवीएनएल शाहपुरा के यहां भिजवा दी गई थी। लेकिन अभी तक वहां से किसी प्रकार की स्वीकृति नही आयी। बिना स्वीकृति के डिमांड राशि जमा कराने के संबंध में मेरे द्वारा न तो श्री उदयलाल को कॉपी दी और न ही प्रोविजनल डिमांड की राशि बतायी। मैनें डिमांड राशि के संबंध में दिनांक 11.02.2025 को ही श्री मुकेश जी एईएन साहब को बता दिया था। आज मैनें मुकेश जी एईएन साहब के कहने के आधार पर ही उदयलाल से पैसे लिये थे। आज मुझे एईएन साहब नें अपने कमरे में बुलाकर कहा कि यह डिमांड की राशि जमा कराने आये है, राशि जमा कर लेना तो मैनें यह राशि इनके हाथ से लेकर मैनें गिनना प्रारम्भ किया लेकिन इनकी डिमांड राशि ज्यादा होने के कारण मैनें इनको पैसे लौटा दिये। कार्यालय पत्रावली में रखे हुये मातेश्वरी ऑयल मिल के नाम से बनाया हुआ मांग पत्र मेरे ही हस्तलेखनी में तैयार किया हुआ है। जिस पर दिनांक, डिस्पेच नम्बर व हस्ताक्षर के संबंध में पूछा तो बताया कि मैने तो साहब के बताये अनुसार ही तैयार किया है, हस्ताक्षर साहब के ही होने है। तत्पश्चात श्री धर्मेन्द्र कुमार मितल, अधिशाषी अभियंता (पवस) एवीवीएनएल शाहपुरा, कार्यालय सहायक अभियंता बनेडा में उपस्थित हुए जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री उदयलाल की एमआईपी विधुत कनेक्शन पत्रावली के संबंध में विभागीय प्रक्रिया एवं की गई कार्यवाही के संबंध में पूछताछ की तो बताया कि उक्त पत्रावली एमआईपी-I है, जिसके तहत 50 केवीए से नीचे के कनेक्शन जारी किये जाते है। श्री उदयलाल की पत्रावली में ई-राजकाज के द्वारा मूवमेंट हुई है। उक्त पत्रावली में तकमीना अनुसार स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी श्रीमान अधीक्षण अभियंता है, मैं इसमें किसी प्रकार की स्वीकृति जारी नही कर सकता हूँ। उक्त पत्रावली कहां पैण्डिंग है, राजकाज पोर्टल के अनुसार उक्त पत्रावली मेरे कार्यालय से श्रीमान अधीक्षण अभियंता, भीलवाडा के यहां प्रेषित कर दी गई है। डिमांड राशि कार्यालय में नकद जमा कराने के संबंध में आप द्वारा पूछने पर बताता हूँ कि अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड एवं आयकर विभाग द्वारा समय समय पर निर्देश / आदेश जारी कर कार्यालय में 10,000/- से अधिक राशि के भुगतान, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाईन ही जमा

कराये जाते है। आप द्वारा कार्यालय पत्रावली में लगे मांग पत्र मातेश्वरी ऑयल मिल के नाम से है जो बिना हस्ताक्षर, बिना दिनांक, बिना डिस्पेच के है जो अपूर्ण है। आज मैं आपको मातेश्वरी ऑयल मिल्स श्री उदयलाल की एमआईपी विधुत कनेक्शन की कार्यालय पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कुल पेज नम्बर 01 से लगाकर 40 तक है। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक को परिवादी श्री उदयलाल द्वारा रिश्वत राशि लेनदेन से पूर्व आरोपी श्री मुकेश बैरवा की मोबाईल पर हुई वार्ता एवं कार्यालय में आरोपी श्री मुकेश बैरवा एवं श्री विनोद से हुई रूबरू वार्ता जो कार्यालय के ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज है, को दोनो गवाह एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री उदयलाल को आरोपी श्री मुकेश बैरवा द्वारा रिश्वत राशि श्री विनोद के पास देने के लिये भिजवाया गया। उक्त रिकार्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अकब से तैयार की जायेगी। आरोपीगण श्री मुकेश बैरवा सहायक अभियंता एवं श्री विनोद वाणिज्यिक सहायक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री उदयलाल द्वारा दिनांक 05.02.2025 को एमआईपी विधुत कनेक्शन हेतु अपनी फर्म मातेश्वरी ऑयल मिल के नाम से सहायक अभियंता कार्यालय बनेडा में फाईल जमा करवायी थी। जिस पर एईएन श्री मुकेश बैरवा द्वारा पत्रावली को बिना रिकॉर्ड पर लिये ही दिनांक 06.02.2025 को परिवादी की फर्म की साईट पर जाकर मौका मुआयना किया तथा परिवादी श्री उदयलाल को कहा कि आपके भाई को भिजवाना जिस पर परिवादी श्री उदयलाल नें दिनांक 06.02.2025 को अपने भाई श्री सत्यनारायण जी को एईएन श्री मुकेश बैरवा से मिलने उनके ऑफिस भिजवाया, जहां पर एईएन श्री मुकेश बैरवा द्वारा श्री सत्यनारायण से विधुत कनेक्शन की पत्रावली पर डिमांड नोटिस जारी करने तथा पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने की ऐवज में 01.00 लाख रूपये रिश्वत की मांग की। दिनांक 10.02.2025 को परिवादी श्री उदयलाल तथा उसके भाई श्री सत्यनारायण को एईएन श्री मुकेश बैरवा के कार्यालय में भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया। दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन श्री सत्यनारायण द्वारा रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये में से कम करने की निवेदन करने पर एईएन श्री मुकेश बैरवा 90,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ तथा दिनांक 10.02.2025 को ही 20,000/- रूपये रिश्वत राशि अपने कार्यालय कक्ष में बनी हुई अलमारी में रखवाकर ग्रहण किये तथा 30,000/- रूपये दो-तीन दिन में परिवादी श्री उदयलाल से लेने पर सहमत हुआ। रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 10.02.2025 के अनुसरण में श्री मुकेश बैरवा एईएन द्वारा आज दिनांक 13.02.2025 को परिवादी श्री उदयलाल को फोन कर कार्यालय में बुलाया तथा 30,000/- रूपये अपने अधिनस्थ कार्मिक श्री विनोद को देने के कहा, जिस पर श्री विनोद नें उक्त रिश्वत राशि 30,000/- रूपये अपने हाथ में लेकर गिना तथा एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर रिश्वत राशि 30,000/- रूपये को अपनी टेबल पर ही छोडकर कार्यालय में बने शौचालय में जाकर अपने हाथ धोये तथा उक्त एसीबी कार्यवाही के संबंध में श्री मुकेश बैरवा को बताने के लिये उनके कक्ष में पहुंचा। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपीगण श्री मुकेश बैरवा व श्री विनोद एक ही कक्ष में उपस्थित मिले। आरोपी श्री विनोद के दोनो हाथों के धोवन हल्का गुलाबी झांई देता हुआ पाया गया तथा उक्त रिश्वत राशि 30,000/- रूपये श्री विनोद की टेबल से बरामद की गई। इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्र पूर्वक परिवादी से 1.00 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर, मांग के अनुसरण में 20,000/- रूपये दिनांक 10.02.2025 को ग्रहण करना तथा 30,000/- रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री मुकेश बैरवा द्वारा अपने अधिनस्थ कार्मिक को दिलवाना पाया गया, आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया गया। फर्द बरामदगी एसीबी कार्यालय के सरकारी लेपटाप से श्री गजेन्द्र सिंह कानि नं. 15 से तैयार करवायी गई। कार्यवाही के दौरान प्रकाश की उचित व्यवस्था रही। तथा मौके पर की गई ट्रेप कार्यवाही की कानिस्टेबल श्री अशोक कुमार बेल्ट नम्बर 367 से उसके मोबाईल में मैमोरी कार्ड डालकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 के तहत ऑडियो विडियो रिकार्डिंग की गई। समय 11.00 पी.एम पर आरोपी श्री मुकेश बैरवा, सहायक अभियंता को प्रकरण हाजा में बाद आगाही जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे जरिये फर्द गवाहान के समक्ष गिरफतार किया जाकर फर्द पर गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी की गिरफतारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उनके परिचित श्री अनिल पुरोहित को दी गयी। समय 11.20 पी.एम पर आरोपी श्री विनोद , वाणिज्यिक सहायक को प्रकरण हाजा में बाद आगाही जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे जरिये फर्द गवाहान के समक्ष गिरफतार किया जाकर फर्द पर गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी की गिरफतारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उनके परिचित श्री अनिल पुरोहित को दी गयी। दिनांक 14.02.2025 समय 12.30 ए.एम पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान मय गिरफतारशुदा मुल्जिमान मय शिल्डशुदा आर्टीकल के सहायक अभियन्ता कार्यालय बनेडा से भीलवाडा रवाना हुये। समय 01.00 ए.एम पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान मय गिरफतारशुदा मुल्जिमान मय शिल्डशुदा आर्टीकल के एसीबी कार्यालय भीलवाडा पहुंचे जप्तशुदा आर्टीकल एवं जामा तलाशी मे मिले सामान को जमा मालखाना करवाया जाकर सुपुर्द मालखाना एच.एम. के किया गया। समय 11.15 ए.एम पर परिवादी श्री उदयलाल एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय हाजा मे उपस्थित आये। उपरोक्त गवाहान व परिवादी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता दिनांक 13.02.2025 जो आरोपी श्री मुकेश

बैरवा सहायक अभियन्ता एवं श्री विनोद के मध्य मोबाईल पर एवं रूबरू हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड है, को कार्यालय अलमारी से निकलवाकर रिकार्ड वार्ताओ को कार्यालय के लेपटोप से कनेक्ट कर बारी बारी से चलाकर सुना गया जिसमे परिवादी ने स्वंय की एवं आरोपीगण मुकेश बैरवा व विनोद की आवाज की पहचान की। उक्त रिकार्ड वार्ताओ की कार्यालय के लेपटोप से शब्द बशब्द सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट कानि. श्री गजेन्द्र 15 से तैयार करवायी गयी तथा रिकार्ड वार्ताओ के कुल 04 पैन ड्राईव 32-32 जी.बी. के तैयार किये गये। 01 पैन ड्राईव उसी कवर मे रखकर कपडे की थैली मे शिल्ड कर मार्क PD-2 दिया गया तथा आरोपीगणो के लिए 02 पैन ड्राईव पृथक-पृथक उसी कवर मे रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क PD-3, PD-4 दिया गया तथा 01 पैन ड्राईव पीले लिफाफे मे रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। उक्त सभी शिल्ड आर्टीकल पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर नमूना ब्रास सील ACB BLA-1 20 अंकित की गयी।

उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री उदयलाल द्वारा दिनांक 05.02.2025 को एमआईपी विधुत कनेक्शन हेतु अपनी फर्म मातेश्वरी ऑयल मिल के नाम से सहायक अभियंता कार्यालय बनेडा में फाईल जमा करवायी थी। जिस पर एईएन श्री मुकेश बैरवा द्वारा पत्रावली को बिना रिकॉर्ड पर लिये ही दिनांक 06.02.2025 को परिवादी की फर्म की साईट पर जाकर मौका मुआयना किया तथा परिवादी श्री उदयलाल को कहा कि आपके भाई को भिजवाना जिस पर परिवादी श्री उदयलाल नें दिनांक 06.02.2025 को अपने भाई श्री सत्यनारायण जी को एईएन श्री मुकेश बैरवा से मिलने उनके ऑफिस भिजवाया, जहां पर एईएन श्री मुकेश बैरवा द्वारा श्री सत्यनारायण से विधुत कनेक्शन की पत्रावली पर डिमांड नोटिस जारी करने तथा पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने की ऐवज में 01.00 लाख रूपये रिश्वत की मांग की। दिनांक 10.02.2025 को परिवादी श्री उदयलाल तथा उसके भाई श्री सत्यनारायण को एईएन श्री मुकेश बैरवा के कार्यालय में भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया। दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन श्री सत्यनारायण द्वारा रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये में से कम करने की निवेदन करने पर एईएन श्री मुकेश बैरवा 90,000 /- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ तथा दिनांक 10.02.2025 को ही 20,000/- रूपये रिश्वत राशि अपने कार्यालय कक्ष में बनी हुई अलमारी में रखवाकर ग्रहण किये तथा 30,000/- रूपये दो-तीन दिन में परिवादी श्री उदयलाल से लेने पर सहमत हुआ। रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 10.02.2025 के अनुसरण में श्री मुकेश बैरवा एईएन द्वारा दिनांक 13.02.2025 को परिवादी श्री उदयलाल को फोन कर कार्यालय में बुलाया तथा 30,000/- रूपये अपने अधिनस्थ कार्मिक श्री विनोद को देने के कहा, जिस पर श्री विनोद नें उक्त रिश्वत राशि 30,000/- रूपये अपने हाथ में लेकर गिना तथा एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर रिश्वत राशि 30,000/- रूपये को अपनी टेबल पर ही छोडकर कार्यालय में बने शौचालय में जाकर अपने हाथ धोये तथा उक्त एसीबी कार्यवाही के संबंध में श्री मुकेश बैरवा को बताने के लिये उनके कक्ष में पहुंचा। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपीगण श्री मुकेश बैरवा व श्री विनोद एक ही कक्ष में उपस्थित मिले। आरोपी श्री विनोद के दोनो हाथों के धोवन हल्का गुलाबी झांई देता हुआ पाया गया तथा उक्त रिश्वत राशि 30,000/- रूपये श्री विनोद की टेबल से बरामद की गई। इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्र पूर्वक परिवादी से 1.00 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर, मांग के अनुसरण में 20,000/- रूपये दिनांक 10.02.2025 को ग्रहण करना तथा 30,000/- रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री मुकेश बैरवा द्वारा अपने अधिनस्थ कार्मिक को दिलवाना पाया गया, आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता है। अतः आरोपीगण श्री मुकेश बैरवा पुत्र श्री सुन्दरलाल बैरवा, उम्र 37 वर्ष, निवासी डुगर सिकराय, तहसील सिकराय, पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा हाल सहायक अभियंता (पवस), एवीवीएनएल बनेडा जिला भीलवाडा व श्री विनोद पुत्र श्री पोखरमल मोहनपुरिया, उम्र 28 वर्ष, निवासी घाटवा, तहसील नावां, जिला डीडवाना हाल वाणिज्यिक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (पवस), एवीवीएनएल बनेडा जिला भीलवाडा के विरूद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाती है। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम।............कार्यवाही पुलिस ....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो भीलवाड़ा-प्रथम, ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी 1. श्री मुकेश बैरवा पुत्र श्री सुन्दरलाल बैरवा, उम्र 37 वर्ष, निवासी डुगर सिकराय, तहसील सिकराय, पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा हाल सहायक अभियंता (पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनेडा जिला भीलवाडा व 2. श्री विनोद मोहनपुरिया पुत्र श्री पोखरमल मोहनपुरिया, उम्र 28 वर्ष, निवासी घाटवा, तहसील नावां, जिला डीडवाना हाल वाणिज्यिक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनेडा जिला भीलवाडा के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना बंशीवाल पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो भीलवाड़ा-प्रथम को मनोनित किया गया है । उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 245 पर अंकित है । (ज्ञानसिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर । क्रमांक 163-67 दिनांक

15.02.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जयपुर-प्रथम, 3.सचिव (प्रशासन) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर, 4. मुख्य अभियंता (अ/सं.) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर, 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो भीलवाड़ा-प्रथम । पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):**
(जाँच अधिकारी का नाम): kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]2/2025 1[illegible]3

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	09/07/1989				
2	Male	08/08/1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)